भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 47

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 03 फरवरी, 2025/14 माघ,1946 (शक) को दिया जाना है)

सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क

47. श्री शशांक मणि:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सॉवरेन ग्रीन बांड जारी करने के लिए कोई रूपरेखा स्थापित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यह किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ (आईसीएमए) द्वारा उल्लिखित ग्रीन बांड सिद्धांतों के अनुरूप है;

(ग) ऐसे बांडों के माध्यम से कितनी धनराशि जुटाई गई है तथा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को आवंटित निधियों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या इस वित्तपोषण का भारत की अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और टिकाऊ जल प्रंबधन जैसे क्षेत्रों में कार्बन की तीव्रता को कम करने पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) सरकार देश को निम्न-कार्बन विकास पथ पर लाने में सहायता के लिए सॉवरेन ग्रीन बांड की आय का उपयोग किस प्रकार करने की योजना बना रही है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) भारत सरकार ने दिनांक 9 नवंबर, 2022 को सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) के लिए फ्रेमवर्क जारी किया और यह https://dea.gov.in/sites/default/files/Framework%20for%20Sovereign%20Green%20Bonds.pdf पर उपलब्ध है।

(ख) यह फ्रेमवर्क आईसीएमए ग्रीन बॉन्ड सिद्धांतों (2021) के अनुरूप है, जिससे हितधारकों को ग्रीन बॉन्ड की विशेषताओं को समझने में मदद करने के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

(ग) वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 में, भारत सरकार ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) जारी करने के माध्यम से क्रमशः 16, 000 करोड़ रुपये और 20,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसके अलावा, मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के दौरान एसजीआरबी के माध्यम से 1,697.398 करोड़ रुपये पहले ही जुटाए जा चुके हैं और दूसरी छमाही में 20,000 करोड़ रुपये जुटाए जाने की योजना है।

(घ) और (ङ) इन बॉन्डों से प्राप्त आय का आबंटन/उपयोग सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के फ्रेमवर्क अनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, आवासन और शहरी कार्य, रेल आदि की पात्र हरित योजनाओं/परियोजनाओं के तहत किया जाता है। इससे स्वच्छ परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, ऊर्जा दक्षता और सतत जल तथा अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एनडीसी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की पहलों को सहायता मिलती है।

****